P001

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2039/2018 श्रीमती विमला बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2018 द्वारा याचिकार्थिया श्रीमती विमला को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य मे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speakin Order) पारित करते हुए 6 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

श्रीमती विमला को प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कालियास, भीलवाड़ा पदस्थापित किया गया था। उक्त पदस्थापन स्थान पर याचिकार्थिया द्वारा दिनांक 08.09.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में परिवेदना प्रस्तुत की गई कि काउन्सलिंग के समय उनके गृह जिले झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के सभी रिक्त पद प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण उन्हें अन्यत्र जिले हेतु अपनी सहमति देनी पड़ी। प्रार्थिया द्वारा स्वयं के स्लिप डिस्क एवं पुत्र के नेत्र सम्बन्धी रोग (इसोट्रोपिया) से पीडित होने तथा अपनी विकट शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन झुन्झुनूं जिले में राआउमावि नूनिया गोठड़ा, चिड़ावा अथवा राआउमावि नूंआ, झुन्झुनूं किये जाने का निवेदन किया गया।

याचिकार्थिया के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। याचिकार्थिया द्वारा चाहे गए झुन्झुनूं जिले के राआउमावि नूनिया गोठड़ा एवं राआउमावि नूंआ में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। जहां तक काउन्सलिंग के समय झुन्झुनूं जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को प्रदर्शित नहीं किये जाने का प्रश्न है, तो काउन्सलिंग में रिक्तियों को विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। याचिकार्थिया राज्य शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य स्तर की राजपत्रित अधिकारी है और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिये गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा का पद धारित कार्मिक की सेवाएं सरकार अथवा विभागाध्यक्ष राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी लेने हेतु सक्षम है। इसी अनुरूप चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया गया जाकर निस्तारित किया जाता है जिसके फलस्वरूप याचिकार्थिया श्रीमती विमला राआउमावि कालियास जिला भीलवाडा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विमला/एसबीसिया/2039/2018 दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. श्रीमती विमला प्रधानाचार्या, राआउमावि–कालियास भीलवाड़ा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

P001

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1345/2019 श्रीमती सन्तोष तंवर बनाम बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती सन्तोष तंवर को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एवं उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण आख्यात्मक आदेश (Reasoned Speaking Order) पारित करते हुए 10 दिवस के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश पारित किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी [illegible] कर अपने अल्पायु पुत्र के सैकेन्डरी एपीलेप्सी एवं न्यूरॉन रोग से एवं स्वयं के न्यूरॉन एवं क्रोनिक किडनी रोग से पीड़ित होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/स्थानान्तरण राआउमावि सूरावास जिला भीलवाड़ा से जयपुर शहर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया। याचिकार्थी प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद धारित राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं और माननीय उच्च न्यायालय के जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण में दिये गए निर्णय के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारी को राज्य एवं छात्र हित में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। उक्त आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण श्रीमती सन्तोष तंवर, प्रधानाचार्या, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरावास जिला भीलवाड़ा का अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सन्तोष/एसबीसिया/1345/2019

दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, भीलवाड़ा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाड़ा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. श्रीमती सन्तोष तंवर, प्रधानाचार्या, राआउमावि–सुरावास, भीलवाड़ा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)